महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / 546 **भोपाल, दिनांक 19 / 04 / 2021**

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर, म.प्र।**
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।**
3. **समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।**

विषयः— फीवर क्लीनिक्स में आने वाले रोगियों के सुचारू प्रबंधन हेतु अधिक संख्या में काउंटर्स के व्यवस्थापन एवं "मोबाईल / चलित फीवर क्लीनिक्स" के संचालन बावत्।

विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान परिदृश्य में बुखार से पीड़ित रोगियों का उपचार जिलों में संचालित "फीवर क्लीनिक्स" में किया जा रहा है। अतः, यह महत्वपूर्ण है कि रोगियों के सुचारू प्रबंधन हेतु भीड़ नियंत्रण के साथ–साथ कोविड–19 प्रोटोकॉल्स यथा सामाजिक दूरी, मास्किंग आदि ऐसे स्थलों पर सुनिश्चित किया जाये ताकि संभावित कोविड रोगियों से संक्रमण के विस्तार को नियंत्रित किया जा सके।

निर्देशित किया जाता है किः–

- "फीवर क्लीनिक्स" में रोगियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन काउंटर्स प्रारम्भ किए जाये।
- काउंटर्स के सामने रोगियों के व्यवस्थित पंक्ति हेतु चूना / चॉक के घेरे बनाकर सामाजिक दूरी की व्यवस्था बनाई जाये।
- रोगियों के पंजीयन के समय ही उन्हें टोकन दिए जाये एवं वॉर्ड बॉय / आयाबाई / अन्य किसी पैरामेडिक द्वारा टोकन संख्या अनुरूप रोगियों को चिकित्सकों के पास परामर्श हेतु प्रेषित किया जाये।
- यथासंभव "फीवर क्लीनिक्स" में रोगियों की आवाजाही पृथक मार्गों से हो। यदि ऐसा संभव न हो तो, मार्ग को रस्सी / बेरीकेडिंग कर विभाजित करते हुए रोगियों के आगमन एवं निर्गमन मार्ग को पृथक किया जाये।
- जिले के हॉट–स्पॉट्स (जहां बड़ी संख्या में कोविड पॉजीटिव रोगियों का प्रतिवेदन हो) में आवश्यकता अनुसार "मोबाईल / चलित फीवर क्लीनिक्स" की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।
- "मोबाईल / चलित फीवर क्लीनिक्स" के संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध वाहन अथवा जिला प्रशासन के सहयोग से वाहन प्राप्त कर 1 आयुष चिकित्सा अधिकारी / दंत चिकित्सा अधिकारी / आयुष इंटर्न एवं 1 परिचारिका (सी.एच.ओ. / ए.एन.एम. / स्टाफ नर्स / एल.एच.व्ही. / स्टूडेन्ट नर्स) की रोस्टरवार ड्यूटि लगाई जाये।
- रोगियों की संभावित संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 100 आर.ए.टी. किट एवं 25 आर.टी.पी.सी.आर. किट इन "मोबाईल / चलित फीवर क्लीनिक्स" में रखे जाये एवं पदस्थ मानव संसाधन द्वारा रोगियों की सैम्पलिंग की जाये।
- "मोबाईल / चलित फीवर क्लीनिक्स" में मंद लक्षणयुक्त रोगियों के लिए होम आईसोलेशन इंस्ट्रक्शन ब्रॉशर एवं होम आईसालेशन किट्स (50–75) भी रखी जाये ताकि रोगियों को आवश्यक औषधियों का वितरण किया जा सके।

(आकाश त्रिपाठी)
स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / 547

भोपाल, दिनांक 19 / 04 / 2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग,वल्लभ भवन, म.प्र।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
6. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
8. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, म.प्र।
9. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

\\

स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश